

1 आपराधिक प्रकरण क्रमांक:-738/2013

न्यायालय:- प्रतिष्ठा अवस्थी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद,
जिला भिण्ड (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक:-738/2013

संस्थित दिनांक:-20/09/2013

फाईलिंग नं.230303002902013

राज्य द्वारा पुलिस आरक्षी केंद्र, गोहद चौराहा
जिला-भिण्ड म0प्र0

अभियोजन

बनाम्

1. दशरथ पुत्र रूप सिंह गुर्जर उम्र 35 साल
 2. मोहर सिंह पुत्र बैजनाथ सिंह गुर्जर उम्र 30साल
- समस्त व्यवसाय खेती निवासी डांग खेरिया पुलिस
थाना माता बसईया जिला मुरैना म0प्र0

आरोपीगण

(आरोप अंतर्गत धारा- 25 1 (1-ख) क आयुद्ध अधिनियम)

(राज्य द्वारा एडीपीओ श्री आलोक उपाध्याय)

(आरोपीगण द्वारा अधि0 श्री बी0एस0गुर्जर)

// निर्णय //

// आज दिनांक 25.11.2016 को घोषित किया //

आरोपीगण पर दिनांक 09/04/13 को 13:10 बजे गोहद चौराहे से पिपाहडी रोड
कनीपुरा मोड पर सार्वजनिक स्थल पर एक 315 वोर का कटटा एवं दो जिंदा कारतूस वैध अनुज्ञप्ति

2 अपराधिक प्रकरण क्रमांक:-738/2013

के बिना अपने आधिपत्य में रखने हेतु आयुध अधिनियम की धारा 25 1 (1-ख) क के अंतर्गत आरोप हैं।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 09/04/13 को पुलिस थाना गोहद चौराहा के प्र०आर० आरक्षक जितेन्द्र सिंह एवं आरक्षक राजेन्द्र सिंह के साथ थाने से रवाना होकर पिपाहाडी रोड कनीपुरा मोड पर वाहन चैकिंग एवं सदिग्ध व्यक्तियों की चैकिंग कर रहे थे चैकिंग के दौरान मोटर सायकिल क्रमांक एम.पी.06-एम.ई-3261 पर पिपाहाडी रोड तरफ से दो व्यक्ति आये थे जिन्हें रोककर चैक किया था उनका नाम पता पूछा था तो एकव्यक्ति ने अपना नाम दशरथ सिंह बताया था तलाशी लेने पर उसके पेंट के नीचे कमर में दाहिनी तरफ एक 315 वोर का देशी लोहे का कटटा मिला था। दूसरे आरोपी ने अपना नाम मोहर सिंह बताया था तलाशी लेने पर उसके पेंट के दाहिनी तरफ की जेब से 315 वोर के दो जिंदा कारतूस मिले थे। दोनों आरोपीगण के पास कटटा एवं कारतूस रखने बाबत लाईसेंस नहीं था। आरोपीगण से मौके पर ही आरक्षक जितेन्द्र सिंह एवं आरक्षक राजेन्द्र सिंह के समक्ष कटटा एवं कारतूस जप्त कर जप्ती एवं दोनों आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई थी तत्पश्चात थाना वापिस आकर आरोपीगण के विरुद्ध अप०क०79/13 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे एवं विवेचनापूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3. उक्तानुसार मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये आरोपीगण को आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है आरोपीगण का अभिवाक अंकित किया गया।

4. द०प्र०सं० की धारा 313 के अन्तर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपीगण ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुये हैं-

1. क्या आरोपी दशरथ ने दिनांक 09/04/13 को 13:10 बजे गोहद चौराहे से पिपाहाडी रोड कनीपुरा मोड पर सार्वजनिक स्थल पर एक संचालनीय स्थिति वाला आयुध 315 वोर

3आपराधिक प्रकरण क्रमांक:-738/2013

का देशी कटटा वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखा?

2.क्या आरोपी मोहर सिंह ने घटनादिनांक समय व स्थान पर 315 वोर के दो जिंदा राउण्ड वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखें?

6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से प्र0आर0 ब्रजराज सिंह आ0सा01,आरक्षक राजेश सिंह आ0सा02,आरक्षक सुरेश दुबे आ0सा03,आरक्षक जितेन्द्र सिंहआ0सा04 एवं योगेन्द्र सिंह आ0सा05 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है ।

{ निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण }

विचारणीय प्रश्न क0-1 एवं 2

7. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

8. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में जप्तीकर्ता प्र0आर0 ब्रजराज सिंह आ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह दिनांक 19/04/13 को आरक्षक जितेन्द्र सिंह एवं आरक्षक राजेश सिंह के साथ इलाका गश्त एवं वाहन चैकिंग के लिये मोहद चैराहा पिपाहडी रोड कनीपुरा तिराहे पर गया था । वाहन चैकिंग के दौरान एक मोटरसायकिल पर दो व्यक्ति पिपाहडी हेट रोड तरफ से आ रहे थे जिन्हें रोककर चैक किया था मोटरसायकिल के कागजात पूछे थे तो कोई कागजात पेश नहीं किये थे। संदेह होने पर दशरथ सिंह की जामा तलाशी ली गई थी तो उसके पेंट के नीचे दाहिनी तरफ कमर में एक 315 वोर का कटटा खुरसा हुआ पाया गया था। मोहर सिंह की तलाशी लिये जाने पर उसके पेंट के दाहिनी जेब में 315 वोर के दो राउण्ड मिले थे। आरोपीगण के पास कटटा व कारतूस रखने बाबत लाइसेंस नहीं था। आरोपी दशरथ से मौके पर ही 315 वोर का कटटा एवं मोटरसायकिल क्रमांक एम.पी.06 एम.ई 3261 जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी01 गवाहों के समक्ष बनाया था जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात उसने आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी02 बनाया था जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने उसीसमय आरोपी मोहर सिंह

4. अपराधिक प्रकरण क्रमांक:-738/2013

से 315 वोर के दो जिंदा राउण्ड जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी03 बनाया था जिसके एसेएभाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी मोहर सिंह को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी04 बनाया था जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। थाना वापिस आकर उसने आरोपी के विरुद्ध प्र0पी07 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि आर्टिकल ए का कटटा एवं आर्टिकल बी तथा सी के कारतूस वही कटटा कारतूस हैं जो उसने मौके पर आरोपी दशरथ एवं मोहर सिंह से जप्त किये थे। प्रतिपरीक्षण के पद क्र04 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि चैकिंग के लिये वह तीनो लोग एक ही मोटरसायकिल से 12:5 बजे गये थे एवं 2:05 बजे वापिस आ गये थे।

9. साक्षी आरक्षक राजेश सिंह आ0सा02 एवं जितेन्द्र सिंह आ0सा04 ने भी जप्तीकर्ता प्र0आर0 ब्रजराज सिंह आ0सा01 के कथन का समर्थन किया है एवं घटना दिनांक को प्र0आर0 ब्रजराज सिंह के साथ चैकिंग पर जाने तथा चैकिंग के दौरान आरोपी दशरथ से 315 वोर का कटटा एवं आरोपी मोहर सिंह से 315 वोर के दो जिंदा कारतूस जप्त करने बाबत प्रकटीकरण किया है। आरक्षक राजेश सिंह आ0सा02 ने जप्ती पंचनामा प्र0पी01 एवं प्र0पी03 तथा गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी04 एवं प्र0पी02 के क्रमशः बी से बी भाग पर तथा आरक्षक जितेन्द्र सिंह आ0सा04 ने जप्ती पंचनामा प्र0पी01 एवं प्र0पी03 तथा गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी02 एवं प्र0पी04 के क्रमशः सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया हैं।

10. योगेन्द्र सिंह आ0सा05 ने अभियोजन स्वीकृति आदेश प्र0पी09 को प्रमाणित किया है तथा आरक्षक सुरेश दुबे आ0सा03 ने कटटे एवं कारतूस की जांच रिपोर्ट प्र0पी08 को प्रमाणित किया है।

11. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

12. सर्व प्रथम न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या आरोपीगण के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत अभियोजन चलाने की स्वीकृति विधिनुसार ली गई है। उक्त संबंध

5 अपराधिक प्रकरण क्रमांक:-738/2013

में साक्षी योगेन्द्र सिंह आ0सा05 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि दिनांक 30/08/13 को थाना गोहद चौराहा के प्रधान आरक्षक ब्रजराज सिंह द्वारा थाने के अप0क079/13 की कैस डायरी जप्तशुदा आयुध सहित अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने हेतु जिला दंडाधिकारी कार्यालय भिण्ड में प्रस्तुत की गई थी एवं तत्कालीन जिला दंडाधिकारी श्री एम0सी0बी0चक्रवर्ती द्वारा कैस डायरी एवं जप्तशुदा आयुध के अवलोकन पश्चात आरोपी दशरथ एवं मोहरसिंह के विरुद्ध अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त अभियोजन स्वीकृति आदेश प्र0पी09 है जिसके ऐसे भाग पर तत्कालीन जिला दंडाधिकारी श्री एम0सी0बी0चक्रवर्ती के हस्ताक्षर हैं एवं बी से बी भाग पर उसके लघु हस्ताक्षर हैं। उसने श्री एम0सी0बी0चक्रवर्ती के अधीनस्थ कार्य किया है इसलिये वह उनके हस्ताक्षरों से परिचित है। उक्त साक्षी का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कथन अखण्डनीय रहा है।

13. इस प्रकार योगेन्द्र सिंह आ0सा05 ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि पुलिस थाना गोहद चौराहा द्वारा प्रकरण में जप्तशुदा आयुध कैस डायरी सहित तत्कालीन जिला दंडाधिकारी श्री एम0सी0बी0चक्रवर्ती के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे एवं श्री एम0सी0बी0चक्रवर्ती ने जप्तशुदा आयुध के अवलोकन पश्चात आरोपी दशरथ सिंह एवं मोहरसिंह के विरुद्ध अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी थी। उक्त साक्षी का यह कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान अखण्डनीय रहा है। बचाव पक्ष की ओर से उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त बिन्दु पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि आरोपी दशरथ सिंह एवं मोहरसिंह के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत अभियोजन चलाने की स्वीकृति विधिनुसार प्राप्त की गई थी।

14. अब न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या जप्तशुदा 315 वोर का कटटा एवं दो कारतूस संचालनीय स्थिति में थे। उक्त संबंध में आरक्षक सुरेश दुबे आ0सा03 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसने दिनांक 08/06/13 को पुलिस लाईन भिण्ड में थाना गोहद चौराहा के अप0क079/13 में जप्तशुदा 315 वोर के देशी कटटे एवं दो कारतूस की जांच की थी जांच के दौरान उसने कटटे का एक्शन चैक किया था कटटा चालू हालत में था कटटे से फायर

6आपराधिक प्रकरण क्रमांक:-738/2013

किया जा सकता था। 315 वोर के जिंदा राउण्ड भी चालू हालत में थे उनसे भी फायर किया जा सकता था। उसकी जांच रिपोर्ट प्र0पी08 है जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क्र02 में उक्त साक्षी ने यह व्यक्त किया है कि आयुध के नाल में राउण्ड लगाकर फायर करके नहीं देखा था उसने कटटे का एक्शन चैक किया था।

15. प्र0आर0 सुरेश दुबे आ0सा03 अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि उसने कटटे से फायर करके नहीं देखा था परन्तु उक्त साक्षी का यह भी कहना है कि उसने कटटे का एक्शन चैक किया था तथा उसका एक्शन सही कार्य कर रहा था एवं कटटे से फायर किया जा सकता था। आरोपीगण की ओर से उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। आरोपीगण की ओर से कोई ऐसी भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह दर्शित होता हो कि कटटे का एक्शन खराब था एवं कटटे एवं कारतूस से फायर नहीं हो सकता था ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता है कि कटटे एवं कारतूस संचालनीय स्थिति में नहीं थे। प्र0आर0 सुरेश दुबे आ0सा03 ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि कटटे एवं कारतूस संचालनीय स्थिति में थे एवं उनसे फायर हो सकता था। बचाव पक्ष की ओर से उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में उक्त बिन्दु पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि जप्तशुदा 315 वोर का कटटा एवं दो कारतूस संचालनीय स्थिति में थे।

16. अब न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या आरोपी दशरथ सिंह ने 315 वोर का कटटा एवं आरोपी मोहरसिंह ने दो कारतूस वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखे थे? उक्त संबंध में जप्तीकर्ता प्र0आर0 ब्रजराज सिंह आ0सा01 ने अपने कथन में यह बताया है कि घटना वाले दिन वह गोहद चौराहा पिपाहडीहेट रोड कनीपुरा तिराहे पर आरक्षक जितेन्द्र सिंह एवं आरक्षक राजेश सिंह के साथ वाहन चैकिंग कर रहा था। चैकिंग के दौरान आरोपी दशरथ एवं मोहरसिंह मोटर सायकिल से आये थे उसने आरोपीगण को चैक किया था तथा तलाशी के दौरान आरोपी दशरथ सिंह की पेंट के नीचे दाहिनी तरफ कमर में 315 वोर का कटटा मिला था तथा आरोपी मोहर सिंह के पास से 315 वोर के दो जिंदा राउण्ड मिले थे। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि आर्टिकल ए का कटटा तथा आर्टिकल बी एवं सी के कारतूस वही कटटा कारतूस हैं जो उसने मौके

7 अपराधिक प्रकरण क्रमांक:-738/2013

पर आरोपी से जप्त किये थें। साक्षी राजेश सिंह आ0सा02 एवं जितेन्द्र आ0सा04 ने भी जप्तीकर्ता प्र0आर0 ब्रजराज सिंह आ0सा01 के कथन का समर्थन किया है एवं आरोपीगण से घटना दिनांक को कटटा कारतूस जप्त किये जाने बाबत प्रकटीकरण किया हैं।

17. आरक्षक राजेशसिंह आ0सा02 एवं जितेन्द्र गुर्जर आ0सा04 ने भी अपने कथन में यह बताया है कि घटना दिनांक को वह प्र0आर0 ब्रजराज सिंह के साथ चैकिंग पर गये थे तथा चैकिंग के दौरान आरोपी दशरथ एवं मोहर सिंह मोटरसायकिल से आये थे तलाशी लेने पर आरोपी दशरथ से 315 वोर का कटटा एवं आरोपी मोहर सिंह से 315 वोर के दो जिंदा कारतूस जप्त किये गये थे। साक्षी राजेश सिंह ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि कटटे की लम्बाई कितनी थी वह आज नहीं बता सकता है। परन्तु उक्त तथ्य इतना तात्विक नहीं है जिसके कारण संपूर्ण अभियोजन घटना को संदेहास्पद माना जावे।

18. प्र0आर0 ब्रजराज सिंह आ0सा01 ने आरोपी दशरथ से 315 वोर का कटटा एवं आरोपी मोहर सिंह 315 वोर के दो कारतूस जप्त करना बताया है। उक्त साक्षी के कथन का आरक्षक राजेश सिंह आ0सा02 एवं जितेन्द्र गुर्जर आ0सा04 द्वारा पूर्णतः समर्थन किया गया है। बचाव पक्ष द्वारा उक्त सभी साक्षियों का पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त सभी साक्षीगण के कथन तुच्छ विसंगतियों को छोड़कर तात्विक विरोधाभाषों से परे रहे हैं।

19. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह व्यक्त किया गया है कि प्रकरण में अभियोजन द्वारा रोजनामचा सान्हा विधिवत प्रमाणित नहीं कराया गया है। अतः अभियोजन घटना संदेहास्पद हो जाती है परन्तु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं हैं यद्यपि यह सत्य है कि प्रकरण में अभियोजन द्वारा रोजनामचा सान्हा को विधिवत प्रमाणित नहीं कराया गया है परन्तु बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण के दौरान यह प्रश्नगत नहीं किया गया है कि प्र0आ0 ब्रजराज सिंह सुसंगत समय पर घटनास्थल पर नहीं गये थें। उक्त तथ्य को बचाव पक्ष अधिवक्ता चुनौति नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में मात्र उक्त त्रुटि के कारण संपूर्ण अभियोजन घटना को संदेहास्पद नहीं माना जा सकता है।

20. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि प्रकरण में किसी स्वतंत्र

8आपराधिक प्रकरण क्रमांक:-738 / 2013

साक्षी को गवाह नहीं बनाया गया है। आरोपीगण के विरुद्ध मात्र पुलिस कर्मचारियों द्वारा साक्ष्य दी गई हैं। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है परन्तु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं हैं। पुलिस अधिकारियों के कथनों की स्वतंत्र साक्षियों से सम्पुष्टि का जो नियम है वह विधि का न होकर प्रज्ञा का है। यदि पुलिस कर्मचारियों के कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान तात्त्विक विरोधाभाषों से परे रहते हैं तो मात्र इस आधार पर उनके कथनों को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है कि उनके कथनों की पुष्टि किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा नहीं की गई हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्र०आर० ब्रजराज सिंह आ०सा०१ ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि जिस समय उन्होंने आरोपीगण की मोटरसायकिल चैक की थी उस समय वहां अन्य कोई व्यक्ति नहीं था। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि सामान्य तौर पर जनता स्वयं को आपराधिक मामले से दूर रखती है इसलिये मात्र जनता के किसी साक्षी को गवाह न बनाने से अभियोजन घटना संदेहास्पद नहीं हो जाती है।

21. प्रस्तुत प्रकरण में प्र०आर० ब्रजराज सिंह आ०सा०१ एवं जप्ती के साक्षी राजेश सिंह आ०सा०२ तथा जितेन्द्र आ०सा०४ के कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान तात्त्विक विरोधाभाषों से परे रहे हैं। आरोपीगण की ओर से उक्त साक्षियों के कथनों के खण्डन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में मात्र पुलिस कर्मचारी होने के कारण उक्त साक्षीगण के कथनों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है। उक्त संबंध में न्यायदृष्टां परमजीत वि० स्टेट दिल्ली प्रशासन (2003) -5 एस०सी०सी० 297 भी अवलोकनीय है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि पुलिस अधिकारी की साक्ष्य कोभी अन्य साक्षीगण की साक्ष्य की तरह लेना चाहिये। विधि में ऐसा कोई नियम नहीं है कि अन्य साक्षीगण की पुष्टि के अभाव में पुलिस अधिकारी की साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। न्यायदृष्टांत बाबूलाल वि० म०प्र०राज्य 2004 (2) जे०एल०जे०425 में माननीय म०प्र० उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि पुलिस के गवाहों की साक्ष्य को यांत्रिक तरीके से खारिज करना अच्छी न्यायिक परम्परा नहीं है। ऐसी साक्ष्य की भी सामान्य साक्षी की तरह छानबीन करके उसे विचार में लेना चाहिये। प्रस्तुत प्रकरण में जप्तीकर्ता प्र०आ०ब्रजराज सिंह आ०सा०१ एवं साक्षी आरक्षक राजेश सिंह आ०सा०२ एवं

9 अपराधिक प्रकरण क्रमांक:-738/2013

आरक्षक जितेन्द्र सिंह आ0सा04 के कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान तात्विक विरोधाभाषों से परे रहे हैं। बचाव पक्ष की ओर से उक्त साक्षीगण के कथनों के खण्डन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षीगण के कथनों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है।

22. प्र0आर0 ब्रजराज सिंह जो कि जप्तीकर्ता है ने अपने कथन में घटना दिनांक को वाहन चैकिंग पर जाने एवं चैकिंग के दौरान पिपाहडीहैट रोड कनीपुरा तिराहे पर आरोपी दशरथसिंह से 315 वोर का कटटा एवं आरोपी मोहर सिंह से 315 वोर के दो राउण्ड जप्त करना बताया है। उक्त साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि आर्टिकल ए का कटटा एवं आर्टिकल बी एवं सी के कारतूस वही कटटा कारतूस है जो उसने आरोपीगण से मौक पर जप्त किये थे। जप्ती पंचनामा प्र0पी01 में भी आरोपी दशरथ सिंह से 315 वोर का कटटा एवं जप्ती पंचनामा प्र0पी03 में आरोपी मोहर सिंह से 315 वोर के दो कारतूस जप्त किये जाने का उल्लेख है। इस प्रकार जप्तीकर्ता प्र0आर0 ब्रजराज सिंह आ0सा01 के कथनों की पुष्टि जप्ती पंचनामा प्र0पी01 एवं प्र0पी03 से भी हो रही हैं। साक्षी राजेश सिंह आ0सा02 एवं जितेन्द्र आ0सा04 ने भी जप्तीकर्ता ब्रजराज सिंह आ0सा01 के कथन का पूर्णतः समर्थन नहीं किया है एवं आरोपी दशरथ सिंह से 315 वोर का कटटा एवं आरोपी मोहर सिंह से 315 वोर के दो कारतूस जप्त किये जाने बाबत कथन किया है। उक्त साक्षीगण के कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान तात्विक विरोधाभाषों से परे रहे हैं। उक्त साक्षीगण के कथनों की पुष्टि जप्ती पंचनामा प्र0पी01 एवं प्र0पी03 से भी हो रही हैं। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षीगण के कथनों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है।

23. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया है कि पुलिस द्वारा आरोपीगणको मिथ्या अपराध में संलिप्त किया गया है परन्तु आरोपीगण द्वारा लिये गये बचाव के संबंधमें कोई विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई हैं। आरक्षक राजेश सिंह आ0सा02 को प्रतिपरीक्षण के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि आरोपीगण घटना वाले दिन अपने मित्र की लडकी का फलदान चढाकर वापिस आ रहे थे एवं साक्षी जितेन्द्र आ0सा04 को यह सुझाव दिया गया है कि आरोपीगण ददरौआ हनुमान जी के मंदिर पर दर्शन करने के लिये जा रहे थे। इस प्रकार आरोपीगण द्वारा उक्त संबंध में प्रत्येक साक्षी को अलग अलग सुझाव दिये

10 अपराधिक प्रकरण क्रमांक:-738 / 2013

गये हैं। ऐसी स्थिति में आरोपीगण द्वारा लिया गया बचाव स्वीकार योग्य नहीं हैं। आरोपीगण द्वारा यह भी बचाव लिया गया है कि उक्त दिनांक को ही पुलिस ने शिव सिंह के विरुद्ध भी अपराध पंजीबद्ध किया था। यदि यह मान भी लिया जाये कि पुलिस ने उसी समय शिव सिंह के विरुद्ध भी अपराध पंजीबद्ध किया था तो भी इससे प्रस्तुत प्रकरण की सत्यता खण्डित नहीं होती है।

24. इस प्रकार उपरोक्त चरणों में की गई विवेचना से यह दर्शित है कि प्र०आ० ब्रजराज सिंह आ०सा००१ ने घटना दिनांक को आरोपी दशरथ से ३१५ वोर का कटटा एवं आरोपी मोहर सिंह से ३१५ वोर का कारतूस जप्त होना बताया है। उक्त साक्षी के कथन का समर्थन जप्ती के साक्षी राजेश सिंह आ०सा००२ एवं जितेन्द्र आ०सा००४ द्वारा भी किया गया है। उक्त साक्षीगण के कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान तात्त्विक विरोधाभासों से परे रहे हैं। बचाव पक्ष की ओर से उक्त साक्षीगण के कथनों के खण्डन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षीगण के कथनों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है।

25. फलतः समग्र अवलोकन से अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि दिनांक ०९/०४/१३ को १३:१० बजे गोहद चौराहा से पिपाहडी रोड कनीपुरा मोड़ पर सार्वजनिक स्थल पर आरोपी दशरथ ने एक संचालनीय स्थिति वाला आयुध ३१५ वोर का कटटा एवं आरोपी मोहर सिंह ने ३१५ वोर के दो जिंदा कारतूस वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखे। फलतः यह न्यायालय आरोपी दशरथ सिंह एवं मोहर सिंह को आयुध अधिनियम की धारा २५ (१) (१-ख) (क) के अंतर्गत सिद्धदोष पाते हुये दोषसिद्ध करती है।

26. सजा के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय लिखाया जाना अस्थाई रूप से स्थगित किया गया है।

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

जिला भिण्ड म०प्र०

11 अपराधिक प्रकरण क्रमांक:-738/2013

पुनश्च—

27. आरोपीगण एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सजा के प्रश्न पर सुना गया आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया कि आरोपीगण का यह प्रथम अपराध है। अतः आरोपीगण को कम से कम दंड से दंडित किया जावे।

28. आरोपीगण के अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया प्रकरण का अवलोकन किया गया प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि अभियोजन द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है परन्तु आरोपीगण व्यस्क व्यक्ति है एवं अपने कृत्य के परिणाम को समझने में सक्षम है आरोपीगण द्वारा वैध अनुज्ञप्ति के बिना आग्नेय आयुध अपने आधिपत्य में रखे गये हैं। ऐसी स्थिति में आरोपीगण को शिक्षाप्रद दंड से दंडित किया जाना आवश्यक है। फलतः यह न्यायालय आरोपी दशरथसिंह एवं मोहर सिंह में से प्रत्येक को आयुध अधिनियम की धारा 25 (1) (1-ख) (क) के अंतर्गत एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड तथा अर्थदंड की राशि में व्यतिक्रम होने पर दो-दो माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास के दंड से दंडित करती है।

29. आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

30. प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसायकिल क्रमांक एम0पी06एम0ई.3261 पूर्व से सुर्पुदगी पर है। अतः उसके संबंध में सुर्पुदगीनामा अपील अवधि पश्चात निरस्त समझा जावे। प्रकरण में जप्तशुदा 315 वीर का कटटा एवं दो कारतूस अपील अवधि पश्चात विधिवत निराकरण हेतु जिला दंडाधिकारी भिण्ड की ओर भेजे जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

31. आरोपीगण जितनी अवधि के लिये न्यायिक निरोध में रहे हैं उनके संबंध में द0प्र0स0 की धारा 428 के अंतर्गत ज्ञापन तैयार किया जावे। आरोपीगण द्वारा न्यायिक निरोध में बिताई गई अवधि उनकी सारवान सजा में समायोजित की जावे। आरोपी दशरथ सिंह एवं मोहर सिंह प्रकरण में दिनांक 09/04/13 से दिनांक 12/04/13 तक न्यायिक निरोध में रहे हैं।

12 अपराधिक प्रकरण क्रमांक:-738/2013

32. तदनुसार सजा वारंट बनाये जावे।

स्थान – गोहद

दिनांक – 25/11/2016

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

सही/-

सही/-

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

जानकारी हेतु प्र
क उपयोग